उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार

संख्या :: **26/23/E-01/DR/PCS/2023-24** दिनांक :: 01 मई, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के सम्बन्ध में निम्नलिखित आवेदकों के प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्राप्त हुए है, जिन्हें सम्यक् रूप से विचारित करते हुए निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ–03 के अनुसार निस्तारित कर दिया गया है–

क्र. सं.	अनुरोधकर्ता का नाम श्री/सुश्री/सर्वश्री	निस्तारण
01.	सुचिता जोशी	विज्ञापन के बिन्दु संख्या–08 के प्राविधानानुसार डिप्टी कलेक्टर (कार्मिक विभाग) एवं कार्य अधिकारी पदों की सेवानियमावली में अधिकतम आयु–सीमा में छूट का प्राविधान है, जबकि अन्य पदों की सेवा नियमावली में अधिकतम आयु–सीमा में छूट का प्राविधान नहीं है। अतः उपरोक्त के आलोक में आवेदनकर्ता को डिप्टी कलेक्टर एवं कार्य अधिकारी पदों के अतिरिक्त अन्य पदों हेतु आवेदन करने के लिए आयु–सीमा में की छूट की अनुमति प्रदान नहीं की जा सकती है। उक्त के दृष्टिगत आवेदनकर्ता सुचिता जोशी द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन किया गया है।
02.	ओम प्रकाश बलोनी	अनुरोधकर्ता द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक 09 फरवरी, 2021 के आधार पर प्रश्नगत परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक उपश्रेणी के अन्तर्गत आयुसीमा में छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। उक्त शासनादेश के अनुसार जिन भूतपूर्व सैनिकों द्वारा भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ पूर्व में किसी सेवा में योजित होने के लिए ले लिया गया है, उन्हें समूह–ग एवं घ के पदों पर अधिकतम आयु–सीमा में छूट का लाभ अनुमन्य होगा। परन्तु प्रश्नगत पद समूह–ख के हैं, जिनके लिए ऐसे पूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ पूर्व में ले लिया गया है, उन्हें समूह 'ख' पदों हेतु अधिकतम आयु–सीमा में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। अतः उक्त के दृष्टिगत आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
03.	स्वीटी बिश्नोई	आवेदनकर्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि चुनाव के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र नहीं बनवा पा रही है, जबकि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/ 2012, दिनांक 26.02. 2016 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक होती हैं। परन्तु अभ्यर्थिनी द्वारा विगत वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र नहीं बनवाया गया है।

क्र. सं.	अनुरोधकर्ता का नाम श्री / सुश्री / सर्वश्री	निस्तारण
		विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश बिन्दु संख्या–03 में उल्लिखित है कि:– "अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि, दिनांक 03 अप्रैल, 2024 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।" अतः उपरोक्त के आलोक में आवेदनकर्ता द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र धारित नहीं करने के आधार पर ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि को विस्तारित नहीं किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।
04.	मदन पाल **(पंजीकरण संख्या–UPE257140)**	अभ्यर्थी द्वारा संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) का प्रयोग करते हुये एक बार जन्मतिथि में संशोधन कर लिया गया है। इस स्तर पर विज्ञापन के अति महत्वपूर्ण निर्देश के बिन्दु सं0–08 के अनुसार अभ्यर्थी को पुनः जन्मतिथि में संशोधन का अवसर प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत आवेदनकर्ता द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार्य करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया है।

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।